न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0/09/19.... ता0रजु. 16.11.19.. किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15...

सरकार

बनाम

रामजीलाल पुत्र भन्वल

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मलका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपूरा मलका के खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म भूमि गै.मु. रास्ता पर सम्बत 2076 में श्री रामजीलाल S/o भन्वल मु0 कपूरा मलका तह0 बयाना ने 0.30 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जवाब में स्वंय का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राजहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1307 रकवा 0.30 हैक्ट. वाके ग्राम कपूरा मलका से बेदखल किया जाता है लगान 1.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 60/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की राशि वसूली टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी बसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी ... कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम में दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक ... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय म सुनाया ...

तहसीलदार
बयाना